न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 331/2015

वादीगण :-

1. नारायण पुत्र छोगा
2. हरजी पुत्र छोगा
   जाति-गुर्जर,निवासी-गुडा हेमडाई
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. मांगू पुत्र छोगा
2. हरलाल पुत्र किशना पुत्र छोगा
3. नाथूराम पुत्र किशना पुत्र छोगा
   जाति-गुर्जर, निवासी-गुडा हेमडाई
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
4. राजस्थान सरकार के जरिये
   तहसीलदार, जैतारण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 08/07/2015**

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी ।
2. प्रतिवादीगण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 08/07/2015**

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - **कुइकी** पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादीगण ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा-गुडा हेमडाई, पटवार हल्का-कुइकी, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 कुल किता-9 कुल रकबा 48-03 बीघा की भूमि आई हुई हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1657, 1658, 1659, 1660, 1699/5 कुल किता-5 कुल रकबा 30-07 बीघा की आई हुई हैं। जिसे इस वाद-पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया गया हैं। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 कुल किता-9 कुल रकबा 48-03 बीघा में वादीगण वं प्रतिवादी संख्या 1 का कुल रकबा में से 1/4 हिस्से में से प्रत्येक का 1/4 हिस्सा आता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा का 1/2 हिस्सा प्रत्येक का आता हैं। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1657, 1658, 1659, 1660, 1699/5 कुल किता-5 कुल रकबा 30-07 बीघा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का कुल रकबा में से 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्से का 1/4 हिस्सा प्रत्येक का आता हैं तथा 1/4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का आता हैं। उक्त वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मृतक छोगा के जायन्दा पुत्र हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मृतक छोगा के पौत्र हैं, जो मृतक किशना के पुत्र हैं। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 आपस सगे काका-भतीजा एवं भाई हैं, जो उक्त वर्णित भूमि एवं उक्त वर्णित हिस्सेनुसार काबिज खातेदार काश्तकार होकर शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच में भूमि का विभाजन हो रखा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व दादा मृतक छोगा के मृत्यू के पश्चात् उक्त खसरान् की भूमियों के राजस्व रेकर्ड में विरासत आधार पर नामान्तरकरण संख्या 242 व 244 दर्ज किया गया। उस दरम्यान वादी संख्या 1 नारायण जो छोगा का अंतिम पुत्र हैं का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया और पीछे छूट गया। इसी प्रकार वादी संख्या 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में हरजी दर्ज करना था। जबकि वादी संख्या 2 का नाम हरदेव दर्ज कर दिया, जो की गलत हैं। इस प्रकार वादी संख्या 1 को विरासती आधार से उक्त भूमियों के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम जुड़वाने का कानूनी अधिकार प्राप्त हैं तथा वादी संख्या 2 को अपना सही नाम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हरजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने व गलत नाम हरदेव का राजस्व रेकर्ड से विलोपित करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। वाद के समर्थन में म्यूटेशन संख्या 242 व 244 व वादी संख्या 2 के राशन कार्ड, पहचान-पत्र व आधार कार्ड की फोटो प्रतियाँ संलग्न पेश हैं। इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी एवं सम्वत् 2028 से 2031 की फोटो प्रतियाँ भी वाद-पत्र में साथ पेश की हैं। बिनायवाद दिनांक 16/06/2015 को उत्पन्न हुआ। जब वादीगण ने लोन हेतु नकले लेने के लिये पटवारी से सम्पर्क कर नकले प्राप्त की, जो दिन प्रतिदन उत्पन्न हो रखा हैं। वाद-पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 4 राजस्थान सरकार के प्रतिनिध एवं अधिकारी हैं। जिन्हें वाद में पक्षकार बनाने से पूर्व दो माह का कानूनी अविध का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु वाद की परिस्थितियाँ इस प्रकार उत्पन्न हो रखी हैं, की कानूनी अवधि का इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए कानूनी अवधि की धारा 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र पेश कर अनुमति ली जाकर वाद-पत्र पेश किया जा रहा हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुड़की में पेश हुई। मजमा-ए-आम में पक्षकारानों ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया, जिसे सामि0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं राजीनामा का गहनता से अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी संख्या 1 को खसरा नम्बर 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 कुल किता-9 कुल रकबा 48-03 बीघा की भूमि की भूमि में 1/16 हिस्से का एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 1657, 1658, 1659, 1660, 1699/5 कुल किता-5 कुल रकबा 30-07 बीघा की भूमि में 1/32 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तथा वादी संख्या 2 का नाम हरदेव के स्थान पर वास्तविक नाम हरजी दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-गुडा हेमडाई, पटवार हल्का-कुड़की, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 कुल किता-9 कुल रकबा 48-03 बीघा की भूमि की भूमि में 1/16 हिस्से का एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 1657, 1658, 1659, 1660, 1699/5 कुल किता-5 कुल रकबा 30-07 बीघा की भूमि में 1/32 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी संख्या 2 का नाम हरदेव के स्थान पर वास्तविक नाम हरजी दुरूस्त किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुड़की में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

ईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. नारायण पुत्र छोगा
2. हरजी पुत्र छोगा
   जाति-गुर्जर,निवासी-गुडा हेमडाई
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. मांगू पुत्र छोगा
2. हरलाल पुत्र किशना पुत्र छोगा
3. नाथूराम पुत्र किशना पुत्र छोगा
   जाति-गुर्जर, निवासी-गुडा हेमडाई
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
4. राजस्थान सरकार के जरिये
   तहसीलदार, जैतारण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 331/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-गुडा हेमडाई, पटवार हल्का-कुइकी, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 कुल किता-9 कुल रकबा 48-03 बीघा की भूमि की भूमि में 1/16 हिस्से का एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 1657, 1658, 1659, 1660, 1699/5 कुल किता-5 कुल रकबा 30-07 बीघा की भूमि में 1/32 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी संख्या 2 का नाम हरदेव के स्थान पर वास्तविक नाम हरजी दुरूस्त किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		-	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान		-	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	03	00	मिजानः-	01	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner